"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2006—माघ 28, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003), अनुविभागीय अधिकारी, कटघोरा, जिला-कोरबा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—श्री आर. पी. जैन, भा.प्र.से. (1990), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991), कलेक्टर, रायगढ़ की सेवाएं अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती हैं. साथ साथ प्रबंध संचालक, भंडार गृह निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री मनोहर पाण्डे, भा.प्र.से. (1993), सचिव, लोक सेवा आयोग, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, लोक शिक्षण के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री अमीर अली, भा.प्र.से. (1996), कलेक्टर, कोरिया को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री जी. एस. धनंजय, भा.प्र.से. (1997), संचालक, लोक शिक्षण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री एस. के. राजू, भा.प्र.से. (1998), कलेक्टर, कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरिया के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्रीमती रितु सेन, भा.प्र.से. (2003), अनुविभागीय अधिकारी, दन्तेवाड़ा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत, बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्री संजय ओझा, भा. व. से. संचालक, एस.ई.आर.टी. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक सेवा आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

10. श्री एन. के. शुक्ला, रा.प्र.से. (आर.आर.-89) प्रबंध संचालक, भंडार गृह निगम की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप-सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी, 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2-2-2006 द्वारा श्री आर. पी. जैन, भा.प्र.से. (1990), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

2. श्री जैन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल टुटेजा, रा.प्र.से. उप सचिव, मुख्य मंत्री, उप-सचिव, परिवहन विभाग एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़, केवल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2-2-2006 के सरल क्रमांक-2 के अनुसार श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991), कलेक्टर, रायगढ़ की सेवाएं अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी गई है. साथ ही प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री विश्वकर्मा को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

4. श्री विश्वकर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के.डी.पी. राव, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 2-10/2004/1-8.—श्रीमती अमृता बेक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक उप-सचिव के पद पर वेतनमान रुपये 12000-375-16500 में पदोन्नत करते हुए उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती बेक को उनके वरिष्ठ श्री जी.डी.गुप्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण काल्पनिक आधार पर किया जावेगा. पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व तक की अवधि का कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धान्त के आधार पर कोई एरियर देय नहीं होगा.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ 3-35/04/गृह-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 20-9-2004 एवं 31-5-2005 को एकजाई कर छत्तीसगढ़ मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करता है. संस्थान में निम्नानुसार पद स्वीकृत किए गये हैं :—

क्रमांक	पदनाम	संख्या	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संचालक	01	16400-20000

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सीनियर फोरेंसिक विशेषज्ञ (मेडिकल)	02	12000-16500
3.	सीनियर फोरेंसिक विशेषज्ञ (नान-मेडिकल) विशेषज्ञ.	01	12000-16500
4.	जूनियर मेडिकल विशेषज्ञ	02	10000-15200
5.	जूनियर मेडिकल विशेषज्ञ (नान-मेडिकल)	01	10000-15200
6.	मेडिकल अधिकारी	02	8000-13500
7.	मेडिकल अधिकारी (नान-मेडिकल)	01	8000-13500
8.	प्रशासकीय अधिकारी	01	8000-13500
9.	ग्रंथपाल	01	8000-13500
10.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	5500-9000
11.	कार्यालय अधीक्षक	01	5000-8000
12.	फोटोग्राफर	01	4500-7000
13.	शीघ्रलेखक	01	4500-7000
14.	लेब टेक्नीशियन	01	4000-6000
15.	लेखापाल	01	4000-6000
16.	सहायक ग्रेड-2	01	4000-6000
17.	कम्प्यूटर आपरेटर	01	3500-5200
18.	सहायक ग्रेड-3	01	3050-4500
19.	स्टोर कीपर	01	3050-4500
20.	प्रयोगशाला सहायक	01	3050-4500
21.	वाहन चालक	01	3050-4500

(1)	(2)	(3)	(4)
22.	लेब असिस्टेंट	01	2750-4400
23.	चपरासी	03	2550-3200
24.	चौकीदार	01	अंशकालीन
25.	स्वीपर	01	अंशकालीन
	योग	30	पद

इनके साथ ही प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष फोरेंसिक मेडिसीन विभाग पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर छ.ग. को पदेन संचालक एवं विभागाध्यक्ष मेडिकोलीगल संस्थान, मेडिकोलीगल विशेषज्ञ एवं छत्तीसगढ़ शासन का मेडिकोलीगल सलाहकार घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष अत्रे, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2006

फा. क्र. 896/डी-233/21-ब/छ.ग./06.—भारत सरकार के विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 153 (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित क्षेत्रों के लिए अनुसूची (2) में विर्निदिष्ट किये गये विशेष न्यायालयों का गठन करती हैं तथा अनुसूची के कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट न्यायाधीशों को उक्त विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है :—

क्रमांक (1)	विशेष न्यायालय (2)	न्यायालय का क्षेत्राधिकार (3)	पीठासीन अधिकारी (4)
1.	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी राजस्व जिला.	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
2.	राजनांदगांव	राजनांदगांव सिविल जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
3.	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर-चांपा राजस्व जिला.	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
4.	अंबिकापुर (सरगुजा)	अंबिकापुर, कोरिया राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	जगदलपुर (बस्तर)	जगदलपुर कांकेर, राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

Raipur, the 31st January 2006

F. No. 896/D-233/XXI-B/C.G./06. —In exercise of the powers conferred by section 153 (1) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby constitutes the Special Courts specified in column (2) of the schedule below in relation to the areas in the corresponding entries in column (3) thereof and appoints the Judges specified in Column (4) of the said schedule as Presiding Officer of the Special Courts for the purposes of aforesaid Act, namely :—

S. No. (1)	Special Courts (2)	Jurisdiction of the Courts (3)	Presiding Officer (4)
1.	Raipur	Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Revenue Districts.	Ist Additional District & Sessions Judge.
2.	Rajnandgaon	Rajnandgaon Civil District.	Ist Additional District & Sessions Judge.
3.	Bilaspur	Bilaspur, Janjgir-Champa Revenue Districts.	Ist Additional District & Sessions Judge.
4.	Ambikapur (Sarguja)	Ambikapur, Koria Revenue Districts.	Ist Additional District & Sessions Judge.
5.	Jagdalpur (Bastar)	Jagdalpur, Kanker Revenue Districts.	Ist Additional District & Sessions Judge.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2006

फा. क्र. 965/284/3(बी)/23/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-23).—राज्य शासन, कु. पल्लवी पाराशर आत्मजा श्री जगदीश प्रसाद पाराशर को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2006

फा. क्र./967/231/3(बी)/25/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-25).—राज्य शासन, श्रीमती उर्मिला गुप्ता, आत्मजा स्व. श्री गोविन्द नारायण गुप्ता को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2006

फा. क्र. 969/230/3(बी)/31/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-31).—राज्य शासन, श्री शैलेश अच्युत पटवर्धन आत्मज श्री रामचन्द्र अच्युत पटवर्धन, को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

क्रमांक 843/3(बी)/38/2005/21-ब.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 634/3 (बी)/32/2006. दिनांक 23-1-2006 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

"उक्त आदेश के पृष्ठांकन क्रमांक 1 की पांचवी पंक्ति में टंकण त्रुटिवश श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, मेरिट क्र. 32 का गृह जिला मुजफ्फरपुर उत्तरप्रदेश टंकित हो गया है उसके स्थान पर गृह जिला मुजफ्फरनगर, उत्तरप्रदेश पढ़ा जाये."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोद्दार, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक एफ-1 (ए) 1/02/स्था/चार.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) की धारा 21 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची के पैराग्राफ (ङ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अनुसूची में,—

पैराग्राफ (ङ) में सरल क्रमांक 9 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये.

"10 छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण"

Raipur, the 12th January 2006

No. F-1 (A) 1/02/Estt/4.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 21 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973) the State Government, hereby, makes the following

amendment in paragraph (E) of the schedule of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the said schedule.–

After serial number 9, in paragraph (E) the following serial number shall be added .—

"10. Chhattisgarh Gramin Sadak Vikas Abhikaran"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. शर्मा, विशेष सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

क्रमांक एफ-20-4/2003/(6)/11.—राज्य शासन द्वारा राज्य के अतिपिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला कोरिया, जिला दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा रोड, तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के लिये मंत्रिपरिषद् आदेश/संकल्प आयटम क्रमांक-2 दिनांक 3 जून 2003 के अनुपालन में अधिसूचना क्रमांक एफ 20-4-2003/(6)/11 दिनांक 17-6-2003 जारी की गयी थी.

2. उक्त अधिसूचना में जहां-जहां पर शब्द "विद्युत कर" प्रयुक्त हुआ है वहां वहां विद्युत कर के स्थान पर शब्द "विद्युत शुल्क" प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. यह संशोधन दिनांक 17-6-2003 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2006

क्रमांक /878/157/व्ही.आई.पी./25-2/आजावि.—शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 6-1-2006 द्वारा श्री फिरोज खान, सहायक संचालक, रेशम, जिला रेशम कार्यालय, रायपुर को उनके दायित्व के साथ राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था.

राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री फिरोज खान को राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए डॉ. साजिद अहमद फारुखी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, रायपुर को राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर अस्थाई रूप से अन्य आदेश पर्यंत पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2006

क्रमांक/394/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1) 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा अठारह के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) तथा (3) में उल्लेखित तथा वर्णित जिला बिलासपुर के नगर तिफरा के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारणी के कालम 4, 5, 6 तथा 7 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है, जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया है, जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	समूह क्रमांक	नगर का नाम	निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि पर प्रति 100 वर्ग फीट के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें		प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें	
			निवासार्थ	व्यापारार्थ	निवासार्थ	व्यापारार्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	20	तिफरा	63.00	95.00	68.00	102.00

Raipur, the 8th February 2006

No./394/Revenue/2005.—In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1) 98 (2) and also with studies of subsection (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & subsection of 97 of chhattisgarh land revenue code 1959 (No. 20 of 1959). The State Govt. is pleased to declare & publish describe district in below Schedule column No. 2, 3 and standard rate of tax determination for urban area Tifra of Bilaspur District as inscribed above schedule column No. 4, 5, 6 & 7 this rate are prescribed for the urban land which is used as Commercial/Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Group No.	Name of Urban area	Prescribed standard rate for determination of each 100sq. feet land for given below purpose		Prescribed standard rate for determination of each 10sq. meter land for given below purpose	
			Residential purpose	Commercial purpose	Residential purpose	Commercial purpose
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	Tifra	63.00	95.00	68.00	102.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2006

क्रमांक एफ. 1-18 31/स्था./ज.सं.वि./2004.—राज्य शासन द्वारा श्री एन. डी. खत्री कार्यपालन अभियंता (सिविल), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, जांजगीर-चांपा, वरिष्ठता क्रमांक-46 को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रुपये 12,000-375-16,500/- में पदोन्नति प्रदान कर, इनकी सेवायें वापिस पैतृक विभाग (जल संसाधन विभाग) में लेते हुये अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अधीक्षण अभियंता (रूपांकन) कार्या., मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर में पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 जनवरी 2006

क्रमांक 99/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	सोनपाडर प. ह. नं. 31	0.21	कार्यपालन अभियंता, लोनिवि (सेतु निर्माण) संभाग, रायपुर.	साजा परपोंडी मार्ग के किमी 11/2 पर सुरहीनदी के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी 2006

क्रमांक 417/भू-अर्जन/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	हारम	2.87	मेजर, कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ग्राम हारम.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/28/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	आलवांही प.ह.नं. 23	0.480	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 05/ अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पकरिया प. ह. नं. 41	0.206	का. यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामबोड़ जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 06/ अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	रामबोड़ प. ह. नं. 41	0.129	का. यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामबोड़ जलाशय योजना पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक 07/ अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी,	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	रामबोड़ प. ह. नं. 41	0.339	का. यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामबोड़ जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 17 जनवरी 2006

प्र.क्र. 12 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	चारभाठा	0.028	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कवर्धा कबीरधाम.	गोंछिया से चारभाठा सड़क निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जनवरी 2006

प्र. क्र. 13 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मानिकपुर	0.057	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कवर्धा कबीरधाम.	मेनरोड से मानिकपुर सड़क निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	आमापाली प. ह. नं. 15	0.845	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन+सड़क), रायगढ़.	चपले बसनाझर मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	बेंदोंझरिया प. ह. नं. 15	0.595	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन-सड़क), रायगढ़.	चपले बसनाझर मार्ग हेतु ग्राम बेंदोंझरिया की अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	खैरपाली प. ह. नं. 15	0.222	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन-सड़क), रायगढ़.	चपले बसनाझर मार्ग के ग्राम खैरपुर की अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	कुकरीझरिया प. ह. नं. 13	0.589	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन+सड़क), रायगढ़.	बचले बसनाझर मार्ग के ग्राम कुकरीझरिया की अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	बसनाझर प. ह. नं. 13	0.415	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन+सड़क), रायगढ़.	चपले बसनाझर मार्ग के ग्राम बसनाझर की अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	खड़गांव प. ह. नं. 1	0.029	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), रायगढ़.	खम्हार-खड़गांव मार्ग पर बोरई सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	सरवानी प. ह. नं. 8	0.250	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन+सड़क), रायगढ़.	तुरेकेला मार्ग में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सरवानी	0.343	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लिटाईपाली	0.303	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	टर्न की पद्धति से [illegible] शाखा नहर के [illegible] लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा [illegible]

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2006

क्रमांक 832/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-63.91 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
21	3.00
26/1	0.15
98/1	0.20
91/4	0.05
91/8	0.04
26/11	0.75
26/8	0.93
68/1	0.84
68/2	0.46
71/3	0.53
72	1.90
75/2	0.13
107/3	0.12
98/10	0.15
77	1.00
78	1.33
103/2	0.63
79/4	0.36
84/2	0.91
93/1	0.67
104/1	0.33
106/3	0.44
107/2	0.11
101	2.27
103/4	1.08
22	3.13
26/3	0.75
26/2	0.50
98/7	0.18
98/9	0.25
91/5	0.04
26/10	0.10
71/1	0.54
71/2	0.53
88	0.20
83	0.32
91/3	0.24
75/4	0.13
107/4	0.11
95	0.88
89	0.29
79/1	1.84
80	1.90
87	0.89
104/2	0.33
106/1	0.44
91/2	0.10
99	0.87
102/2	0.51
105	2.26
23	0.10
75/1	0.07
26/5	0.25
26/4	0.50
26/6	0.10
98/2	0.25
91/6	0.04
84/1	0.10
84/3	0.90
69	4.68
73	0.40
98/4	0.15
91/7	0.10

(1)	(2)
76/1	0.64
27/2	1.50
96	1.38
79/2	0.86
81	1.48
102/3	0.10
106/2	0.45
93/3	0.66
98/3	0.25
100/1	0.43
103/1	0.26
25	0.22
91/1	0.04
75/3	0.07
26/7	0.25
26/9	0.10
107/1	0.11
27/1	1.10
86	0.14
97	0.32
70	1.60
74	0.40
98/6	0.30
98/8	0.18
76/2	0.96
27/3	0.50
102/1	0.21
79/3	0.47
82	3.08
68/3	0.66
93/2	0.67
104/3	0:34
98/5	0.20
100/2	0.44
103/3	0.19
योग	63.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खैरबना जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2006

क्रमांक 833/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-उरईडबरी, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-32.89 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
402	1.52
486/15	0.20
486/12	0.13
485/5	1.00
486/20	0.25
486/2	0.36
486/14	0.15
404/1	2.00
394/5	0.30
428	0.34
488/1	4.50
496	1.00
486/8	0.19
486/8	0.25
486/19	0.15
403	0.10
486/9	1:44
486/22	0.20
486/3	0.74
486/17	0.20
404/1	0.50
426	2.55
429	0.58
489	0.16
497	0.12

(1)	(2)
486/13	0.08
486/21	0.15
485/2	1.50
486/10	0.25
486/24	0.22
485/3	2.05
486/4	1.30
394/8	0.79
427	0.34
487/1	0.78
490	1.15
393	1.08
486/16	0.50
486/23	0.40
485/4	0.45
486/18	0.25
485/2	0.58
485/1	0.35
485/5	0.11
394/6	0.40
487/2	0.35
484	0.50
491/3	0.20
486/7	0.18
योग 49	32.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरूवाटोला जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2006

क्रमांक 834/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलटिकरी, प.ह.नं. 70/9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.79 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2	0.02
725	0.02
21	0.29
18	0.16
26/1	0.30
37/6	0.09
43	0.11
428	0.36
46	0.10
147	1.20
430	0.35
105	0.24
425	0.56
352	0.19
309/3	0.11
5	0.10
724	0.26
373	0.37
42	0.33
27	0.18
374/1	0.07
44	0.32
1189/2	0.23
117/1	0.24
1201	0.20
434	0.37
433	0.14
357	0.18
350	0.16
374/2	0.02
8/1	0.38
722	0.08
1113	0.14
1116/2	0.15

(1)	(2)
36	0.23
374/3	0.01
440	0.37
45	0.26
103/1	0.12
175	0.04
347	0.18
437	0.02
356	0.32
348	0.55
372	0.04
371/1	0.26
723	0.20
20	0.43
26/2	0.33
37/12	0.15
37/9	0.04
173	0.04
112	0.13
103/2	0.04
174/1	0.28
376	0.68
426	0.14
354	0.14
309/1	0.17
370/12	0.12
370/13	0.06
1112	0.60
1140/1	0.14
1142	0.21
1191	0.33
1178/2	0.12
113	0.11
377/1	0.02
1114	0.14
1140/2	0.15
1143	0.16
1200	0.08
1198/1	0.23
104	0.06
377/3	0.23
1115	0.11
1141/1	0.15
1144/1	0.13
1199	0.29
1178/1	0.04
1144/2	0.11
1105/1	0.39
1116/1	0.11
1141/2	0.15
1190	0.17
1197/2	0.17
1176/3	0.02
योग 87	17.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खैरबना जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-कुकरीझरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/2	0.008
60/2	0.008
140	0.008
143	0.012
144	
योग 4	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.